5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(फोटोकॉपी) (148)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केम्प भोपाल

निगरानी क0

दयाराम आ0 स्व0 श्री भंवरलाल
आयु वयस्क
निवासी– ग्राम गोल तहसील हुजूर
जिला भोपाल। ——————— निगरानीकर्ता

निगरानी-4615/2018/भोपाल/भू.रा.

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा जिलाध्यक्ष भोपाल।

2–श्रीमती माधवीलता खत्री
पत्नि श्री अरूण कुमार खत्री
निवासी– सी–31 मिनाल रेसीडेन्सी,
जे0के0रोड़,भोपाल। ——————— अनावेदकगण

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता

उपरोक्त लिखित निगरानीकर्ता, माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर उत्तर जिला भोपाल के द्वारा रा0 प्र0 क0 285/बी–121/17–18 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं विधिक आधारो पर प्रस्तुत करता है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है; ओर उसके जन्म के समय से ही ग्राम गोल में निवास करके भूमिहीन कृषक के रूप में जीवनयापन करता आया है।

2– यह कि वर्ष 1989–90 के समय ग्राम गोल की शासकीय काबिल कास्त भूमि के भूमिहीन कृषक मजदूरो के बीच आबंटन की प्रकिया मध्यप्रदेश शासन के द्वारा आरंम्भ की गयी थी; जिसमें निगरानीकर्ता को भी भूमि प्राप्त करने की पात्रता दर्शायी जाकर स्थानीय ग्राम पंचायत ने लिखित प्रस्ताव के द्वारा अनुषंशा प्रदान की थी; जिसके विधिवत परिक्षण उपरान्त प्रार्थी को पात्र मानते हुये ग्राम गोल की राजस्व खसरा कमॉक 4/2/3 मे से 0.88 हेक्टेयर एवं 0.33 हेक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया था; जिसका प्रकरण क0 8/अ–19/89–90 था जिसका बन्दोबस्त के समय नवीन खसरा कमॉक 5 रकबा 0.88 हेक्टेयर ओर खसरा क0 7 रकबा 0.33 हेक्टेयर कुल रकबा 1.21 हेक्टेयर अंकित किया गया है ...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4615/2018/भोपाल/भू.रा. जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-19	आवेदक अधिवक्ता श्री कार्तिकेय जाट उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा गया। आवेदक के निवेदन पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वापिस किया जाता है। अध्यक्ष	कार्तिकेय जाट 29/3/19.

[कृ. प. उ.